न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : नमित मेहता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 15/2017 फोरलेन

उनवान

1. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार जरिये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यालय 6–ए–1, आर.सी. व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा परियोजना कार्यान्वयन इकाई चित्तौडगढ़।

–प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर जिला भीलवाड़ा।
2. लादूलाल पिता शेषमल महाजन निवासी कोशीथल
3. राजकुमार पिता मनोहरलाल डेसरड़ा निवासी गंगापुर
4. नवरतन पिता मनोहरलाल डेसरडा निवासी गंगापुर
5. विनोद पिता मनोहरलाल डेसरडा निवासी गंगापुर
6. गौतम प्रकाश पिता मनोहरलाल डेसरडा निवासी गंगापुर
7. सुशीला देवी पत्नि नवरतन निवासी गंगापुर
8. संगीता देवी पत्नि राजकुमार डेसरडा निवासी गंगापुर
9. दिलीप कुमार पिता शेषमल महाजन निवासी कोशीथल
10. मदनलाल पिता नन्दराम महाजन
11. पारसमल पिता नन्दराम महाजन
12. मदनलाल पिता सुवालाल सेन (नाई) निवासी देवरिया।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3जी(5) रा0रा0अ0 1956 विरूद्ध अवार्ड क्रमांक 161 दिनांक 25.05.2015 सपठित अतिरिक्त अवार्ड आदेश दिनांक 14.06.2016

उपस्थित –

1. अधिवक्ता प्रार्थी– श्री दिनेशचन्द्र बापना।
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 23-01-2025

1– प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि रा0रा0 संख्या–758 (राजसमन्द से भीलवाड़ा सेक्शन) को चौडा करने/चार लेन सड़क निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के तहत भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2329 (अ) दिनांक 28.09.2012 के द्वारा ग्राम सहाडा की भूमि का अधिग्रहण करने के लिए अधिसूचना प्रकाशित की गयी। इसके पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3डी के अन्तर्गत भूमि के हितबद्ध व्यक्तियों का विवरण, भूमि की किस्म, रकबा आदि का विवरण भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2906(अ) एवं 2909(अ) दिनांक 25.09.2013 को प्रकाशित होकर अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन दिनांक 24.11.2012 को दैनिक भास्कर और दैनिक नवज्योति में तथा दिनांक 26.11.2012 को राजस्थान पत्रिका में प्रकाशन कराया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा ग्राम सहाडा में स्थित अवाप्तसुदा भूमि का किस्म अनुसार बाजार दर से मुआवजा निर्धारण नहीं किया गया। चूंकि उक्त अवार्ड दिनांक 25.05.2015 को जारी किया गया था जबकि RFCTLARR एक्ट, 2013 दिनांक 01.01.2015 से प्रभावी हो चुका था जिससे उक्त अवार्ड को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संशोधित कर दिनांक 14.06.2016 को संशोधित अवार्ड जारी किया गया लेकिन पूर्व में पारित अवार्ड में भूमि की किस्म अनुसार दरों में परिवर्तन नहीं किया गया जिससे उक्त अवार्डों (मूल एवं संशोधित) के विरुद्ध यह परिवाद पत्र पेश किया जा रहा है।

जिला कलक्टर
(आर्बीट्रेटर)
भीलवाडा